संख्या-17/2021/246/12-5-2021-ब-6/2020

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 15 मार्च, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस०एफ०-2736-टी/नान प्लान-124/2020-21, दिनांक 19.02.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी में रू० 743.31 लाख, 09-विद्युत में रू० 60.00 लाख एवं 43-सामग्री सम्पूर्ति में रू० 1256.69 लाख अर्थात् कुल रू० 2060.00 लाख (रूपये बीस करोड़ साठ लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग की मदों में देयतायें लम्बित है एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल पुनर्विनियोग की मदों में लम्बित देयताओं के वहन हेतु ही किया जायेगा।

3- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

4- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मित्व्ययता को ध्यान में रखकर किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

5- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

6- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

7- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

8- उक्त स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की दिरावृत्ति न हो।

9- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

10- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणिक बीजो पर अनुदान (राज्य सेक्टर) के मानक मद 27- सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी, 09-विद्युत एवं 43-सामग्री सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं अन्य संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 17(1)/2021/246(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)- प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति पढ़ लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 **कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)** वित्तीय वर्ष 2020-21

प्रपत्र बी0एम0-08

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 103 0427 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान (राज्य सेक्टर)					
27-सब्सिडी	5500.00	2060.00	2060.00	2060.00	3440.00
योग	5500.00	2060.00	2060.00	2060.00	3440.00

निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय	संक्रमण द्वारा प्राप्त धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात आवंटित अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 103 0300 2401-फसल कृषि कर्म, 103-बीज, 03-प्रौद्योगिकीय प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रबंध योजना,					
02-मजदूरी	1500.00	2243.31	743.31	743.31	2243.31
03-विद्युत	200.00	260.00	60.00	60.00	260.00
43-सामग्री सम्पूर्ति	1300.00	2256.69	1256.69	1256.69	2256.69
योग	2700.00	4760.00	2060.00	2060.00	4760.00

(रु0 बीस करोड़ साठ लाख मात्र)

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित योजनान्तर्गत खरीफ-2020 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बीजों का वितरण न हो पाने एवं रबी 2020-21 में बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों पर अनुदान की धनराशि की सीमा बढ़ाये जाने एवं राज्य सेक्टर से अनुदान की धनराशि कम दिये जाने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार से न प्राप्त होने के कारण मजदूरी, सामग्री सम्पूर्ति एवं विद्युत मदों में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: बी0एम0-159/ई-1-228-दस-2021, दिनांक: 08/03/2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

05/3/2021
(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या–246/12–5–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–8 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।
